बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

संख्या–टी–2/संबंधन–08/2018–.../पटना, दिनांक............................2022

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशिलता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–DGE&T-19/19/2012-CD(PI) दिनांक–06.04.2022 के आलोक में राज्यान्तर्गत NCVT संबंधन प्राप्त सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार अधिसूचित किया जाता हैं–

1. शुल्क निर्धारण निम्नवत् है–

क्र0सं	व्यवसाय की श्रेणी	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत प्रति प्रशिक्षणार्थी वार्षिक शुल्क
1.	इंजीनियरिंग	26,000/–
2.	गैर–इंजीनियरिंग	21,200/–

2. मानक प्रशिक्षण शुल्क को केवल इंजीनियरिंग एवं गैर–इंजीनियरिंग समूह के तहत वर्गीकृत किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण शुल्क संरचना शहरी क्षेत्रों के समान होगी।
3. वर्ष 2024 से 5% प्रतिवर्ष की एक समान वृद्धि अनुमान्य होगी।
4. पाँच साल बाद शुल्क संरचना की समीक्षा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशिला मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा की जाएगी।
5. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपरोक्त मानक प्रशिक्षण शुल्क में यह माना गया है कि प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण प्रदान करने में उचित गुणवत्ता सुनिश्चित किया जायेगा, जो तकनीकी सुधार के आलोक में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निदेशों से आच्छादित होता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(गजेन्द्र मिश्रा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– टी–2/संबंधन–08/2018–....1308/पटना दिनांक....27.06.....2022

प्रतिलिपि– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार के राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु (द्वारा आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग)/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानीय आयुक्त, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/प्रधान महालेखाकार, बिहार/अपर निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशिला मंत्रालय, भारत सरकार/ सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बिहार, पटना/प्राचार्य/निदेशक, सभी निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

27.06.22

सरकार के संयुक्त सचिव।